



कार्यालय, नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

फा.क./15/संपदा/2016

कोरबा दिनांक

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना/महिला समृद्धि स्वावलंबन योजना/राजीव स्वावलंबन योजनांतर्गत विभिन्न वर्ग के रिक्त दुकानों का आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा राज्य शासन की राजीव स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन एवं महिला समृद्धि स्वावलंबन योजना के योजनांतर्गत निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार विभिन्न वर्ग के रिक्त दुकानों के आबंटन हेतु दिनांक 15-02-2016 से 27-02-16 तक पात्र हितग्राहियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र रूपये 50/- शुल्क जमा कर नगर पालिक निगम कोरबा के संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं।


रिक्त दुकानों का विवरण												
क.	स्थल का नाम	अनु.जाति	अनु.ज. जा.	विच्छेद वर्ग	विद्यवा/परिव्यक्ता महिला	नि.शिवत वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	शिक्षित श्रेयजगार	महिला	अनारक्षित	कुल रिक्त दुकान
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत निर्मित काम्पलेक्स की रिक्त दुकान												
1	बुधवारी बाजार के समीप काम्पलेक्स	-	-	-	-	-	-	75, 78	-	-	-	2
2	पटेल नगर बाम्चे आवास के समीप काम्पलेक्स	01, 20	-	-	04, 05	-	13	-	12	3	02, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19	20
3	भदरापारा बालको	-	10, 14	-	-	-	30, 31	33	-	-	-	5
राजीव स्वावलंबन योजनांतर्गत निर्मित काम्पलेक्स की रिक्त दुकान												
1	पूर्व न्यायालय परिसर के समीप काम्पलेक्स	12	4, 10,	2, 9	-	8	-	-	-	-	-	6
महिला समृद्धि स्वावलंबन योजनांतर्गत निर्मित काम्पलेक्स की रिक्त दुकान												
1	पं. रविशंकर शुक्ल नगर के समीप काम्पलेक्स	28, 36,	29,	-	-	-	-	-	-	-	35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,	10

अर्हताएं :-

01. आवेदक/आवेदिका की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होना चाहिए।
02. परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
03. आयु/आय/आरक्षित वर्ग एवं निगम क्षेत्र में निवास का प्रमाण पत्र आवेदक आवेदन के साथ संलग्न कर राशि रु. 10,000/- अमानत राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा।

शर्त :-

1. दुकानों का मासिक किराया 1000/-एवं लीज अवधि तीन वर्ष रहेगी।
2. दुकानों को यथा स्थिति आधिपत्य में लेना होगा।
3. आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र तथा अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन विचार योग्य नहीं होगा।
4. प्राप्त आवेदनों में दुकानों का आबंटन जिला-स्तरीय समिति के द्वारा किया जावेगा।
5. निर्धारित तिथि में अवकाश होने की स्थिति में अगली कार्य दिवस निर्धारित तिथि में मानी जावेगी।
6. एक दुकान में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में चयन लाटरी पद्धति से की जावेगी।
7. दुकान आबंटन की विशेष जानकारी/शर्त नगर पालिक निगम कोरबा कार्यालय के संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है।


 आयुक्त,
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छ.ग.)